न्यायालय विशेष न्यायाधीश एन0डी0पी0एस0 एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–01 गाजीपुर
अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1148/2026
CNR No. UPGH0100-0000-2026

प्रवीन सिंह पुत्र जयमूर्ति सिंह
निवासी ग्राम अकटही रतसड, थाना गड़वार, जनपद–बलिया

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य
2. प्रभारी निरीक्षक सुरेन्द्र नाथ सिंह, थाना ए0एन0टी0एफ0, गाजीपुर

.....अभियोजन

मु0अ0सं0 76/2026
धारा– 8/20/29 एन0डी0पी0एस0 एक्ट
थाना–भुड़कुड़ा, जिला गाजीपुर।

04.06.2026

1. प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र आवेदक/अभियुक्त प्रवीन सिंह की ओर से मु0अ0सं0– 76/2026, धारा– 8/20/29 एन0डी0पी0एस0 एक्ट, थाना–भुड़कुड़ा, जिला–गाजीपुर में प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

2. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक की बहस सुना एवं अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

3. अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 24.03.2026 को वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक सुरेन्द्र नाथ सिंह मय हमराह पुलिसबल पतारसी सुरागरसी मादक पदार्थ की तस्करी की रोकथाम हेतु हरिहर मोड़ थाना भुड़कुड़ा जनपद गाजीपुर क्षेत्र में मामूर था कि मुखबिर खास आकर सूचना दिया कि जनपद आजमगढ़ के तरफ से एक चार पहिया वाहन जो कि जनपद लखनऊ की है। जिससे कुछ व्यक्ति गांजा लेकर आजमगढ़ से चिरैयाकोट होते हुए हथियाराम मठ के रास्ते गाजीपुर की तरफ जाने वाले हैं, जो कहीं बेचने की फिराक में है। यदि जल्दी किया जाए तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर खास की सूचना पर विश्वास कर वादी मुकदमा ने श्रीमान क्षेत्राधिकारी श्री राजकुमार त्रिपाठी एएनटीएफ आपरेशनल यूनिट वाराणसी महोदय से जरिये दूरभाष मो नं0 6386482033 पर टीम गठित करने का अनुरोध किया गया जिस पर श्रीमान् क्षेत्राधिकारी आपरेशनल यूनिट वाराणसी महोदय द्वारा बताया गया की टीम गठित करने हेतु प्रार्थना पत्र जरिये वाह्टसएप मेरे पास भेजे जिस पर मुझ प्रभारी निरीक्षक द्वारा टीम गठित करने हेतु प्रार्थना पत्र श्रीमान् क्षेत्राधिकारी को वाह्सएप किया गया तथा टीम गठन कर श्रीमान् क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा मेरे वाह्ट्सएप पर भेजा गया टीम गठन के उपरान्त मुखबिर की सूचना थाना क्षेत्र भुडकुडा गाजीपुर होने के फलस्वरूप थाना प्रभारी श्री श्याम जी यादव को उनके मो नं0 9919234422 पर मुखबिर के सूचना से अवगत कराया गया तथा अतिरिक्त पुलिस बल की माग की गयी तो थाना प्रभारी श्री श्याम जी यादव द्वारा बताया गया कि आप लोग गजाधरपुर मोड़ पर रूकिये मैं अपने थाने से पुलिस बल भेज रहा हूँ। तत्पश्चात मुझ प्रभारी निरीक्षक द्वारा मय टीम मय मुखबिर के साथ गजाधरपुर मोड़ पर पहुंच कर थाना भुडकुडा के

पुलिस बल का इन्तजार करने लगा कि कुछ देर बाद उ0नि0 रणजीत सिंह चौकी प्रभारी हथीयाराम मठ व कां सन्दीप कुमार उपस्थित आये मुझ प्रभारी निरीक्षक द्वारा अपना परिचय देते हुये मकसद मुखबिरी से अवगत कराया गया तत्श्चात हम पुलिसकर्मीयो द्वारा गवाह फराहम करने का काफी प्रयास किया परन्तु भलाई बुराई के कारण कोई साथ चलने व तलाशी लेने हेतु तैयार नहीं हुआ व मजबूरी हम एएनटीएफ गाजीपुर के पुलिस कर्मी व थाना भुडकुडा की टीम एक दूसरे की जामातलाशी ले दे कर इत्मिनान किया गया कि किसी के पास अपराध से सम्बन्धित कोई नाजायज वस्तु नहीं है मुखबिर खास को लेकर मुखबिर के द्वारा बताये गये व्यक्ति व वाहन की तलाश में हम लोग मुखबिर खास को साथ लेकर आजमगढ़ के तरफ से आने वाली वाहनों को देखते हुये घटारो हनुमान मन्दिर पर पहुंचे तो मन्दिर से 100 मीटर आगे रोड़ पर ही एस0पी0बी0डी0 इण्टर कालेज तिराहे पर एक चार पहिया वाहन खड़ी थी जो गाड़ी के लाइट से साफ दिखायी दे रही थी मुखबिर खास ने हाथ से इशारा कर बताया कि साहब यह वही गाड़ी है जिसमें गाजा है। मुखबिर बता कर मौके से हटबढ़ गया कि हम पुलिस कर्मी सतर्क होकर हिकमत अमली से घेराबन्दी कर गाडी के पास पहुंचे कि गाड़ी के बैठे व्यक्तीयों ने हम पुलिस बल को देख कर घबराकर गाडी स्टार्ट कर भागना चाहे कि हम पुलिस बल द्वारा पकड लिया गया पकडे गये वाहन सं0 UP 32 GY 1257 के चालक व बैठे व्यक्ति से पूछताछ करते हुये भागने का कारण पूछा गया तो बताये कि साहब हमारी गाड़ी मे गांजा है पकडे जाने के डर से हम लोग भागना चाहे कि आप लोगो द्वारा पकड़ लिया गया पकडे गये चालक व व्यक्ति से बारी बारी से नाम पता पूछताछ की गयी तो चालक ने अपना नाम प्रदीप यादव पुत्र रामबदन यादव निवासी ग्राम शहाबुद्दीनपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 48 वर्ष बताया तथा वास बगल में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम अभिषेक सिंह उर्फ गोलू पुत्र मोहन सिंह निवासी बंशीबाजार हडसर थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया बताया पकड़े गये व्यक्तियों की जामा तलाशी लेने के सम्बन्ध में बताया गया कि आप की जामा तलाशी किसी नजदीकी सक्षम मजिस्ट्रेट / राजपत्रित अधिकारी के समक्ष कराया जाना आपका अधिकार है इस सम्बन्ध में पकड़े गये व्यक्तियों ने कहा कि साहब आप जिसे चाहे बुला कर जामा तलाशी ले सकते है हम लोगो को कोई आपत्ति नहीं है जिसके उपरान्त घारा 50 के नोटिस पर लिखित सहमति प्राप्त की गयी तथा स्थानीय राजपत्रित अधिकारी पुलिस उपाधीक्षक भुड़कुडा को अपने मो० नं0 7398744604 से उनके सीयूजी नम्बर 9454401623 पर अवगत कराते हुये मौके पर आने का अनुरोध किया गया तो इस सम्बन्ध में श्री शुभम वर्मा क्षेत्राधिकारी भुडकुडा महोदय द्वारा बताया गया कि मैं कार्य सरकार से क्षेत्र में ही हूॅ कुछ देर में मैं मौके पर आ रहा हूॅ। कुछ ही देर बाद श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय मौके पर आ गये जिनके द्वारा पकड़े गये व्यक्तियो से धारा 67 एनडीपीएस एक्ट में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत पूछताछ किया जाने लगे तथा श्रीमान् क्षेत्राधिकारी भुड़कुडा के समक्ष वाहन व पकड़े गये व्यक्तियों की जामा तलाशी कां0 इन्दपाल सिंह से बारी बारी लिवायी गयी। जिसमे प्रदीप यादव पुत्र स्व0 रामबदन यादव निवासी ग्राम शहाबुद्दीनपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ के पहने हल्के निले रंग के जिन्स पैन्ट के पिछले दाहिने जेब से एक अदद एन्ड्राइड मोबाइल फोन रंग निला मोटो कम्पनी जिसका नम्बर 9119877295 व आईएमईआई नम्बर 356468368979679/17 व 356468368979687/17 है, पैन्ट के पिछले बाये जेब से 500 का 08 नोट, 200 का 03 नोट, 20 का 01 नोट, कुल 4620 रूपये बरामद हुआ तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम अभिषेक सिंह उर्फ गोलू पुत्र मोहन

सिंह निवासी बशीबाजार हडसर थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया उम्र 34 वर्ष के पहने निले रंग के जिन्स पैन्ट के आगे वाली बाये जेब से 500 का 01 नोट, 100 का 01 नोट, 20 का 01 नोट, कुल 620 रूपया बरामद हुआ तथा दाहिने जेब से एक अदद एन्ड्राइड मोबाइल फोन रंग आसमानी कम्पनी सैमसंग जिसका नम्बर 6393819658 जिसका आईएमईआई नम्बर 350292737718832/01 व 352693357718838/01 है तथा बरामद वाहन सं0 UP 32 GY 1257 के बारे में पूछताछ कि गयी तो प्रदीप यादव ने बताया कि साहब यह गाडी मैं मित्र से मांग कर लाया हूँ। जिसमे गांजा है। बरामद वाहन के पीछे डिग्गी की तलाशी ली गयी तो एक निले रंग की प्लास्टिक की बोरी बरामद हुई बरामद शुदा बोरी को मुझ प्रभारी निरीक्षक द्वारा A–1 से चिन्हित किया गया तथा उक्त बोरी को खोला गया तो उस बोरी में भूरे रंग के सेलो टेप से लपेटा हुआ 25 बण्डल मिला प्रत्येक बन्डलो को मौके पर खोल कर चेक किया गया तो कलीदार गांजे जैसा प्रतीत हुआ। जिसे मौके पर उपस्थित हमराही व कर्मचारियो को सुघां व सुंघाया गया तो गांजे की तीव्र गन्ध आ रही थी जिसे मौके पर वजन करने हेतु वादी के सरकारी वाहन में पहले से मौजूद इलेक्ट्रिक काटा को मौके पर आरक्षी प्रदीप कुमार से मंगा कर वजन किया गया तो A–1 का बोरी सहित कुल वजन 26 किलो 100 ग्राम हुआ तथा गाड़ी के बीच की सीट पर रखी हरे व पीले रंग की दो और बोरियों को बारी बारी से वजन किया गया। जिसमे हरे रंग की बोरी को A–2 चिन्हित कर खोला गया तो उस बोरी में भी भूरे रंग के सेलो टेप से लपेटा हुआ 25 बन्डल मिला प्रत्येक बन्डलो को मौके पर खोल कर चेक किया गया तो कलीदार गांजे जैसा प्रतीत हुआ। जिसे मौके पर उपस्थित हमराही व कर्मचारियो को सुंघा व सुंघाया गया तो गांजे की तीव्र गन्ध आ रही थी। जिसे मौके पर वजन करने पर बोरी सहित कुल 26 किलो 200 ग्राम हुआ तथा पिले रंग की बोरी को A–3 चिन्हित कर खोला गया तो उस बोरी में भी भूरे रंग के सेलो टेप से लपेटा हुआ 25 बन्डल मिला प्रत्येक बन्डलो को मौके पर खोल कर चेक किया गया तो कलीदार गांजे जैसा प्रतीत हुआ। जिसे मौके पर उपस्थित हमराही व कर्मचारियो को सुंघा व सुंघाया गया तो गांजे की तीव्र गन्ध आ रही थी जिसे मौके पर वजन करने पर बोरी सहित कुल 26 किलो 200 ग्राम हुआ तथा गाडी में और भी रखे सेलो टेप से लपेटे हुये बन्डलो को निकाल कर गिनती किया गया तो कुल पाच बन्डल मिला जिसे जिसे एक सफेद रंग की बोरी में रख कर A–4 चिन्हित कर वजन किया गया तो बोरी सहित कुल वजन 5 किलो 200 ग्राम हुआ तथा प्रत्येक को चिरा लगा कर चेक किया तो कलीदार गाजे जैसा प्रतीत हुआ जिसे मौके पर उपस्थित हमराही व कर्मचारियो को सुंघा व सुंघाया गया तो गांजे की तीव्र गन्ध आ रही थी। इस प्रकार A–1,A–2,A–3 A–4 का सम्पूर्ण वजन 83 किलो 700 ग्राम बरामद हुआ बरामद वाहन सं0 UP 32 GY 1257 मारुति सुजुकी एस क्रास जेटा को ई–चालान एप के माध्यम से चेक किया गया तो वाहन स्वामी का नाम राजेश सिंह पुत्र अभिमन्यु सिंह निवासी C/49/2LDA कालोनी टिकैत राय तालाब राजाजीपुरम लखनऊ 226017 मो0 न0 7991945653 जिसका चेसिस नम्बर MA3FNEF1S00125292 व इन्जन नम्बर D13A5232938 है। उक्त वाहन के दिये गये नम्बर पर सम्पर्क किया गया तो सम्पर्क नहीं हो सका। बरामद अवैध मादक पदार्थ गाजा के सम्बन्ध मे पूछताछ कि गयी तो प्रदीप यादव ने बताया कि साहब यह गांजा प्रवीन सिंह पुत्र जयमूर्ति सिंह निवासी अकटही रतसड़ थाना गडवार जनपद बलिया हाल पता खडगापुर लखनऊ मो0 7897629367 व 9470439178 उडिशा से मंगाते है और प्रवीन सिंह जहॉ भेजते है

मैं गांजा लेकर जाता हूॅ तथा गांजा बेचने से प्राप्त पैसे को वापस लाकर प्रवीन सिंह को दे देता हूॅ और मेरा हिस्सा प्रवीन सिह मुझे दे देते है। आज अभिषेक सिंह उर्फ गोलू को गाजीपुर में देने हेतु भेजे थे जिसको मैं लेकर आ रहा था तो रास्ते मे अभिषेक सिंह उर्फ गोलू से व्हास्टसप से बात किया तो अभिषेक सिंह द्वारा बताया कि आप मुझे यह गांजा आजमगढ़ बार्डर भुडकुडा क्षेत्र के तरफ लाकर दीजिये जिससे मुझे ले जा कर बेचने में आसानी होगी। अभिषेक सिंह से कडाई से पूछताछ कि गयी तो उसने बताया कि साहब मैं प्रवीन सिंह के माध्यम से गांजा मंगाता हूॅ और दो किलो चार किलो कर के घूम–घूम कर बेच देता हूॅ और बिक्री के पैसे को प्रवीन सिंह को ले जाकर दे देता हूॅ। प्रवीन सिंह मेरा हिस्सा मुझे दे देते है आज हम लोग पैसे की लेन देन की बात कर कर ही रहे थे कि आप लोगो द्वारा पकड लिया गया पकडे गये व्यक्तियो से गाजा रखने के सम्बन्ध में वैध प्रपत्र मांगा गया तो दिखाने से कासिर रहे और बार बार अपनी गलती की माँफी मांगते रहे, पकडे गये व्यक्तियों को गाली उसके जुर्म के अन्तर्गत धारा 8/20/29/60 एनडीपीएस एक्ट का अपराध का बोध कराते हुये समय 20.41 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया तथा बरामदशुदा माल को कब्जा पुलिस में लेकर प्लास्टिक के उसी बोरी में रख कर सील सर्व मुहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया तथा बरामद रुपया व मोबाइल फोन को भी सरकारी वाहन में पहले से रखे एक पारदर्शी प्लास्टिक के डिब्बे में रख कर सर्व सील मुहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया, तथा पकडे गये व्यक्तियो का फोन चेक किया गया तो सभी लोगो का एक दूसरे से वाट्सअप पर वार्ता होना पाया गया है, समस्त कार्यवाही की विडियो ग्राफी क्षेत्राधिकारी के समक्ष आरक्षी देवानन्द से करवायी गयी तथा मौके पर आये राजपत्रित अधिकारी कार्य सरकार होने के कारण बाद जामा तलासी वापस चले गये। गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त प्रदीप यादव के भाई जगदीश के मो० नं० 9415473293 व अभिषेक सिंह उर्फ गोलू के भाई आनन्द सिह के मो0नं0 7632995777 पर मौके पर दी गयी। फर्द बरामदगी वादी प्र०नि० द्वारा सरकारी गाडी में मौजूद लेपटॉप मे बोल–बोल कर आरक्षी देवानन्द से टाइप करवाया तथा टाइपशुदा फर्द को पेनड्राइव मे सुरक्षित कर फर्द को प्रिन्ट कराने हेतु आरक्षी अमित चौरसिया को थाना भुडकुडा भेजा गया। कुछ देर बाद आरक्षी अमित कुमार चौरसिया थाना भुड़कुड़ा कार्यालय से फर्द का प्रिन्ट दो प्रतियो मे निकलवाकर मौके पर आये। फर्द का मिलान किया गया तो हुबहू मेल खाता खाती प्रतिलिपि होकर को मौके पर पढ़कर सुनाकर सर्व सम्बन्धित के आलामात बनवाए जा रहे है। फर्द बरामदगी के आधार पर थाना भुड़कुड़ा में मु0अ0सं0–76/2026, अन्तर्गत धारा 8/20/29/60 एन0डी0पी0एस0 एक्ट दिनांक 25.03.2026 को 00:14 बजे पंजीकृत की गयी।

4. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का न्यायालय के समक्ष यह तर्क है कि अभियुक्त निर्दोष है। उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। जिस प्रकार की घटना प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित की गयी है, उस प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हुई है। कथित बरामदगी झूठी एवं फर्जी है। आवेदक के विरूद्ध इस घटना के तथाकथित अभियुक्तगण के बयानात के आधार पर आवेदक को पुलिस द्वारा विधि विरूद्ध तरीक से फॅसाया गया है। स्थानीय पुलिस गलत तौर पर आवेदक को गिरफ्तार कर फर्जी व बनावटी साक्ष्य के आधार पर मुकदमे में फॅसाना चाह रही है। ऐसी स्थिति में ता फैसला मुकदमा आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की कृपा की जाय।

5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत मामले के सह अभियुक्तगण के पास से 83 किलो 700 ग्राम नाजायज गॉजा जो कि वाणिज्यिक मात्रा के अन्तर्गत आती है, बरामद करने तथा आवेदक के विरूद्ध उक्त बरामदशुदा गॉजा नाजायज को सह–अभियुक्तगण के माध्यम से विक्रय कराये जाने का आरोप लगाया गया है। इस प्रकार के मामलों में न्यायालय को धारा–37 एन.डी.पी.एस. एक्ट में दिये गये प्रावधानों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होता है, जो निम्न प्रकार है –

> 37. अपराधों का संज्ञेय और अजमानतीय होना (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी,–
> (क). इस अधिनियम के अधीन दंडनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा;
> (ख). {धारा 19 या धारा 24 या धारा 27 क के अधीन अपराधों के लिए और वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित अपराधों के लिए भी दण्डनीय किसी अपराध} के अभियुक्त किसी भी व्यक्ति को जमानत पर या मुचलके पर तभी नियुक्त किया जाएगा जब–
> (I). लोक अभियोजक को ऐसी निर्मुक्ति के लिए किए गए आवेदन का विरोध करने का अवसर दे दिया गया है, और
> (II). जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है वहां न्यायालय का या समाधान हो गया है कि यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर होने के दौरान उसके द्वारा कोई अपराध किए जाने की संभावना नहीं है।

6. उपरोक्त प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे यह समाधान हो सके कि यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और अग्रिम जमानत पर रिहा होने के दौरान उसके द्वारा कोई अपराध किए जाने की संभावना नहीं है। प्रश्नगत मामले के सह–अभियुक्तगण की जमानत पूर्व में इस न्यायालय द्वारा खारिज की जा चुकी है।

7. अतएव मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों व अपराध की गम्भीरता एवं बरामदशुदा गॉजा नाजायज की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का कोई आधार नहीं पाया जाता है। तदनुसार अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त प्रवीन सिंह द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1148/2026, अन्तर्गत धारा 8/20/29 एन0डी0पी0एस0 एक्ट, थाना– भुड़कुड़ा, जिला–गाजीपुर निरस्त किया जाता है।

(शक्ति सिंह–।)
विशेष न्यायाधीश एन0डी0पी0एस0 एक्ट
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–01
गाजीपुर

Digitally signed by SHAKTI SINGH
Date: 2026.06.04 14:36:07 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court